



राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 11, शुक्रवार, शाके 1938-सितम्बर 2, 2016  
Bhadra 11, Friday, Saka 1938-September 2, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 02, 2016

जी.एस.आर. 43 :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)एफडी/जीएफ एण्ड एआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम संख्यांक 44 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेगी।

[सं.एफ.1(8)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

**FINANCE (G&T) DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

**Jaipur, September 02, 2016**

**G.S.R. 43 .-** In exercise of powers conferred by sub-section [2] of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [Act No. 21 of 2012] read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby makes the following amendment in

this Department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely :-

**AMENDMENT**

In the said notification, the existing serial number 44 and entries thereto shall be deleted.

[No. F.1(8)/FD/GF&AR/2011]

**By Order of the Governor,  
Naveen Mahajan,  
Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**